उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग–10
संख्याः 446512 /**XXVII(10)/E-22807/2022**
देहरादूनः दिनांकः 05 नबम्बर, 2026

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No- 446512 / **XXVII(10)/E-22807/2022**
Dehradun: Dated 05 November, 2026

कार्यालय ज्ञाप

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 396999/**XXVII(10)/E-22807/2022,** दिनांक 18.05.2026 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक–01.07.2026 से 60 % प्रतिशत के स्थान पर 63 % प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

Office Memorandum

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief from 60 % to 63 % with effect from 01.07.2026, superseding the earlier rates sanctioned vide this O.M. No.396999/XXVII(10)/E-22807/ 2022, Dated 18 May, 2026 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/ Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension /Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated 27 April, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Digitally signed by Vadivel Shanmugam
Date: 05-11-2026 16:01:32

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव

(Dr. V. Shanmugam)
Secretary

संख्या–446512/XXVII(10)/E-22807/2022,तद्दिनांक।

No. 446512 /XXVII(10)/E-22807/2022, the dated.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड

1- **Secretary to Governor, Uttarakhand.**

2. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव उत्तराखण्ड शासन

2- All Principal Secretaries/Special Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपक्रम/निकाय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी

3- Secretary, Bureau of Public Enterprises/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of Dearness Relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड	**4- All Commissioner/ District Magistrate, Uttarakhand.**
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड	**5- All Heads of Departments & Head of Offices, Uttarakhand.**
6. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारियों को इसकी प्रतियॉं उपलब्ध कराने का कष्ट करें	**6- Accountant General Uttarakhand (A&E), Uttarakhand Mahalekhar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other ststes be also informed please.**
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून	**7- Director, Treasury, Pension and Entitlement, Uttarakhand, Dehradun.**
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून	**8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun.**
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड	**9- All Chief/Senior Treasury Officers/Treasury Officers, Uttarakhand.**
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियॉं मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें	**10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.**

आज्ञा से

(खजान चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव

Digitally signed by Khajan Chandra Pandey
Date: 05-11-2026 16:12:21

By Order,

(Khajan Chandra Pandey)
Additional Secretary